



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271557
CG-DL-E-04042026-271557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 234]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. 29-सीए/लॉ/डी-351/2026.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चैट ए रैफ 1/2018 में तारीख 14.01.2026 को आदेश दिया है कि श्री एस.एन. शिवाकुमार (सदस्यता सं. 088113), ई-7/14, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6) और (7) के अर्थात्गत "वृत्तिक कदाचार" का दोषी पाए जाने के पश्चात् तीन मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

यह सूचित किया जाता है कि श्री एस.एन. शिवाकुमार का नाम सदस्यता शुल्क का संदाय न करने के कारण तारीख 01.10.2025 से सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है। अब, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार, श्री एस.एन. शिवाकुमार की सदस्यता तब तक पुनर्जीवित नहीं की जाएगी जब तक वे इस संबंध में आवेदन नहीं करते और उपरोक्त तीन मास की अवधि पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चैट.ए.रेफ 1/2018 में तारीख 14.01.2026 को पारित निर्णय के अनुसार सदस्यता रद्द करना तारीख 01.04.2026 से प्रभावी होगा, जो रद्द करने के अतिरिक्त सदस्यता शुल्क के संदाय न करने के कारण पहले से लागू है। अतः, अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के निबंधनों में तारीख 01.04.2026 से सदस्यता शुल्क के संदाय न करने और वृत्तिक प्रमाणपत्र के नवीकरण

न होने के कारण पहले से लागू रद्द करने के अतिरिक्त, श्री एस.एन. शिवाकुमार, तारीख 01.04.2026 से 3 मास की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के पात्र नहीं होंगे।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./01/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. 29-CA/Law/D-351/2026.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in CHAT.A.REF 1/2018, ordered on 14.01.2026 that the name of Shri S. N. Shivakumar, E-7/14, Vasant Vihar, New Delhi-110057 (M. No. 088113) be removed from the Register of Members for a period of three months after finding him guilty of "Professional Misconduct" falling within the meaning of Clauses (5), (6) and (7) of Part I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949.

It is hereby informed that the name of Shri S.N. Shivakumar is already removed from register of members since 01.10.2025 due to non payment of fees. Now in terms of the aforesaid order of the Hon'ble High Court of Delhi the membership of Shri S.N. Shivakumar shall not be revived unless he moves an application in this regard and after completion of aforesaid period of three months. The removal in terms of Judgement dated 14.01.2026 passed by Hon'ble High Court of Delhi in Chartered Reference no 1/2018 shall come into effect from 01.04.2026 in addition to the removal already in force and in operation due to non payment of membership fees. Therefore, in addition to the removal already in place due to non payment of membership fee and non renewal of certificate of practice, Sh. S.N. Shivakumar, shall not be entitled to practice as a Chartered Accountant for a period of 3 months w.e.f. 01.04.2026 in terms of the said judgment of the Hon'ble High Court of Delhi.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./01/2026-27]